प्रपत्र–अ (3)

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं / संगठनों / सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.स.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1–	संस्था / संगठन का नाम	श्री सजन सिंह शिक्षा समिति
2–	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	कविता यादव
3–	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	H.N.- 1412, Sector 4, Rewari Mob:- 9896878090 roseland konsiwas@gmail.com
4–	भूमि आवंटन का उद्देश्य	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अरावली विहार भिवाड़ी (गोदावरी मठ के समीप)
5–	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	3165.00 sqm.
6–	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	संलग्न
7–	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	नहीं
8–	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	
9–	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i– रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न
	ii– बाईलॉज / रेग्युलेशन	संलग्न
	iii– गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	संलग्न
	iv– संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न
	v– प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न
	vi– रू. 5900/– (पांच हजार नो सौ रूपये) का बैंक का डी.डी./पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	IDBI Bank Bhiwadi D.D. No. 006369 Date - 02/09/2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान / कम्पनी / आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों / निर्देशों व उप–विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 13/5/22

स्थान : Rewari

नाम व पद Kanti yadav, President of society.

Kanti yadav

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

President
Shri Sajan Singh
Shiksha Samiti
Konsiwas, Rewari

945
6/9/22

परिशिष्ट–1 (4)

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक / चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं	
आवेदक का नाम / पता	कविता यादव (मवाड़ी)
शहर / कस्बे / कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	राजस्थान हॉसिंग बोर्ड, अरावली विहार (चौधरी आपार्टमेंट के सामने)
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम / कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	3165.00 sqmtr.
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	Date. 06/08/2018 संलग्न
संस्था का गत तीन वर्ष का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियां का लेखा जोखा	संलग्न
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये / किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	संलग्न

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं	
परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	SC ST OBC शिक्षा
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम,, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पट कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई भूमि नगर निगम / नगर परिषद / स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों / सदस्यों / प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के सम्बन्ध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा की जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

प्रपत्र–ब (126)

कम्पनियों / साझेदारी फर्मों / व्यक्तिगत भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1–	कम्पनी / फर्म / व्यक्ति का नाम	श्री सजनसिंह शिक्षा समिति
2–	आवेदनकर्ता संगठन / व्यक्ति (कम्पनी / फर्म / व्यक्तिगत) किसीएक को टिक करें)	कविता यादव
3–	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	H.N. – 1412, Sector 4, Rewari Mob – 9896878090 roseland konsiwas@gmail.com
4–	भूमि आवंटन का उद्देश्य	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय
5–	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अरावली विहार भिवाड़ी (गोदावरी 2 अपार्टमेंट के सामने)
6–	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	9865.95 sqm
7–	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	संलग्न
8–	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	नहीं
9–	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न
	i– रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न
	ii– आर्टिक ऑफ ऐसोसिऐशन / पार्टनरशीप डीड	संलग्न
	iii– गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	संलग्न
	iv– संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न
	v– प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न
	vi– रू. 5900 / – (पांच हजार नो सौ रूपये) का बैंक का डी.डी. / पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	IDBI BANK BHIWADI (BHIWADI) D.D.No. 006369 Date – 02/09/2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान / कम्पनी / आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों / निर्देशों व उप–विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : .....

स्थान : Rewari

नाम व पद Kanta yadav, President of Society

Kanta yadav
President
Shri Sajan Singh Shiksha Samiti
Konsiwas, Rewari
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Department of Industries & Commerce, Haryana

Form-VII

"Revised Certificate of Registration issued under Section 9(4) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 upon allotment of a new registration number"

(See sub-rule (2) of rule 8)

Revised Certificate of Registration of Society

I hereby certify that **Sh. Sajjan Singh Siksha Samiti**(name of the society) registered vide registration number 88 on 0000-00-00 00:00:00 Registered with District Registrar has been allotted a new Registration Number as undermentioned on this 06 day Aug month 2018 year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code	District Code	Year Of Registration	Registration Number
H R	0 1 7	2 0 1 8	0 1 0 2 7

Name Of the Society	Registered Office Address
Sh. Sajjan Singh Siksha Samiti	V.P.O.- Konsiwas, District- Rewari

Issued under my hand at [Rewari] this [06] day of (month)[Aug] (Year)[2018] having Unique Identification Number - 2001129725

Issuing Authority
District Registrar,
Rewari
(Signature of District Registrar)

SOME IMPORTANT PROVISIONS OF THE HRRS ACT 2012 TO BE FOLLOWED :

- One Flat one vote.
- Videography of each meeting/ election of society is mandatory.
- Collegium Scheme to be approved from District Registrar if members strength is more than 1000.
- Administrator if appointed will not enroll new members, incur capital expenditure and give employement in the society.
- Terms of Governing Body not to be more than 3 years.
- Member to be not less than 21 year age.
- Office bearers of society (Three to twenty one).
- General Body and other meeting should be conducted with quorum i.e 1st meeting - 40%, 2nd meeting - 25% and 3rd meeting - 15%
  (see entire Provisions)
- Submission of mandatory Annual Returns i.e. list of members, list of members of collegium, list of office bearers, Annual Report on working, Balance Sheet & Auditors Report, Copy of special resolution otherwise shall attract penalities & fines as per provisions of Act.
- In case of Joint Apartment owners, 1st owner will be eligible to contest the elections.
- Proxy voting not allowed.
- Condominium/ Association covered under Apartment Ownership Act 1983 is to be formed by owners only.
- Election observer may be appointed by District Registrar or on request of Society

Verification Link: https://haryanaindustries.gov.in/msme/verify/societyexistingregistration/id/129725

Kavita Yadav